न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 11/2019(2019/00015)

शंकर नाथ पुत्र हजारी नाथ जाति नाथ जोगी निवासी मेहरूखुर्द तहसील सावर जिला अजमेर

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

—प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88राज0 काश्तकारी अधि0,136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:— श्री अतुल दाधीच—वकील वादी

पैरोकार सरकार—तहसीलदार सावर — प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 11-1-21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88,राज0राजस्थान काश्त0 अधिनियम,136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम मेहरूखुर्द तहसील सावर की निम्नवर्णित आराजीयात वाके ग्राम मेहरूखुर्द की जमाबंदी संवत् 2071—74 मे निम्न वर्णित आराजी का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है :—

विवरण आराजीयात

खाता नंबर नया— पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1—1	362	0.01	गै.मु.चाह

उक्त वर्णित आराजी ग्राम मेहरूखुर्द की जमाबंदी संवत् 2017—20 के खाता संख्या 106—69 मे नाथूनाथ पुत्र कलानाथ कौम जोगी बिला हक मु0 दो साल के रूप मे दर्ज है। खसरा नंबर 138 मिन रकबा 00.01.00बीघा गै0मु0 चाह जारी पुख्ता 1 लाव दर्ज थां। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 138/1 रकबा 0.01 बीघा के नये नंबर 362रकबा 0.01है0 बने है। जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071—74 के अनुसार सरकारी भूमि के रूप मे उक्त वर्णित अनुसार चली आ रही है। वादी इस चाह से अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 360,364,1055 रकबा 0.28,0.35,0.73 कुल रकबा 1.36 हैक्यर पर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। इन आराजीयात की सिंचाई वादी द्वारा उक्त चाह से की जा रही है। वादी ने उक्त वर्णित आराजी के अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी को कई बार निवेदन किया किन्तु किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की।संवत् 2017—20 खसरा नंबर 138मिन जिसका वर्तमान खसरा नंबर 362 रकबा 0.01 गैर मुमकिन चाह से सिंचाई करता आ रहा है। किन्तु संवत् 2041 मे दौराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी के नाम गलत तरीके से इन्द्राज हो गया जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदार अधिकार से वंचित हो गया है। वादी ने प्रतिवादी को मौखिक व लिखित मे दिनांक 01.04.2017 को निवेदन किया तब से ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर संवत् 2014—17 मे दर्ज खसरा नंबर 138/1 जो वर्तमान मे खसरा नंबर 362 है को प्रतिवादी द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को सही करने की कृपा करावे। तथा उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर पर खातेदारी अधिकार दिलवाने की कृपा करावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। तहसीदार सावर परोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें दावे मे बताया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दावा स्वीकार योग्य है। राजस्व जमाबंदी संवत 2017—20 के खसरा 138मिन रकबा 00.01.00 बीघा गैर मुमकिन चाह मे खातेदारी दर्ज है अतः दावा स्वीकार है। राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी वर्तमान के अनुसार खसरा न. 362 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन चाह बने है। खातेदार नाथु नाथ पुत्र कलानाथ जोगी सा देह के नाम दर्ज था। परन्तु वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में सिवायचक दर्ज हो गई,खसरा नंबर वर्तमान मे सिवायचक है अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। जवाब दावा, दावा अस्वीकार का प्रस्तुत होने पर प्रकरण में विवाद्यको की विरंचना की गई।

उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:50 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

1. आया वादी का वादा अंतर्गत धारा 88, 136 एल. आर. एक्ट के तहत खातेदार प्राप्त करने का हक अधिकार रखता है। — वादी
2 आया वादी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है। — वादी
3 आया वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। — प्रतिवादी
4 दादरसी

वादी शंकरनाथ पुत्र हजारी नाथ जाति जोगी ने शपथ पत्र प्रस्तुत का स्वंय को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये ,exp1 मिलान क्षेत्रफल, exp2 जमाबंदी खेवट खतौनी 2017–20, exp3 मिलान क्षेत्रफल सं. 2049–60, exp4 जमाबंदी सं. 2041, exp5 जमाबंदी आधार 2071–72, exp6 जमाबंदी खसरा नं. 362 गै. मु. चाह, exp7 खसरा गिरदावर सं. 2054 खसरा सं. 138/1 exp8 गिरदावरी सं. 2058 खसरा नं. 362 गै. मु. चाह है। जिरह मे वादी ने बताया कि वे इस कुए से पानी पिलाता है । खसरा गिरदावरी की नकल आज लाया नही लाया हूँ लाकर पेश कर दूंगा। यह कुआ मेरे दादाजी ने खुदवाया है। यह करीब 70 साल पहले का है। पहले खातेदारी मे था। अब सिवायचक कर दिया है। कुए को हम तीनों भाईयों के नाम किया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहरा सुनी गई। वकील वादी ने बताया की जमाबंदी संवत् 2017–20 में उक्त चाह खसरा न. 138 मिन रकबा 00.01.00 बीघा वादी के दादाजी नाथुनाथ वल्द कलानाथ जोगी साकिन देह बिला हक मुदद 2 साल गैर मुमकिन चाह जारी 1 लावा पुख्ता दर्ज है। जिसके नये न. 362 बने है। खसरा नं. 362 रकबा 0.1 हैक्ट. गै. मु. चाह राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम मेहरूखुर्द में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, जो गलत तरीके से वादी के खाते से कम कर प्रतिवादी के खाते दर्ज किया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। परोकार सरकार, तहसीलदार सावर ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान जमाबंदी में उक्त वर्णित आराजी सिवायचक खाते में दर्ज है। संवत् 2041 की वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। अतः दावा अस्वीकार किया जावे। उन्होंने आगे कहा कि जमाबंदी जमाबंदी संवत् 2017–20 के खसरा न. 138 रकबा 0.01.00बीघा किस्म गै. मु. चाह खातेदार नाथुनाथ वल्द कलानाथ जोगी के नाम दर्ज था। अतः दावा स्वीकार किये जाने योग्य है। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी न. 1:– वादी के दादाजी नाथुनाथ वल्द कलानाथ कौम जोगी साकिन् देह के नाम खसरा नं. 138 मिन् रकबा 00.01.00बीघा गै. मु. चाह जारी जो बिना कारण सिवायचक दर्ज हो चुका है। परोकार सरकार इस बारे में कोई संतोषजनक तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 2:– वादी का वाद साबिक खसरा न. 138 जो संवत् 2017–20 की जमाबंदी में उसके दादाजी की खातेदारी में दर्ज था। वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नं. 138 मिन के नये न. 362 बनाकर इस चाह को सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जिसका कोई ठोस कारण प्रतिवादी परोकार सरकार, तहसीलदार सावर ने प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वादी इस गलती को दुरूस्त करवाने का हक रखता है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 3:– वादी का वाद अस्वीकार किये जाने के संबंध में प्रतिवादी परोकार सरकार–तहसीलदार सावर द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे प्रतीत होता है कि वादी के दादाजी को नाम हटाकर [illegible] उक्त चाह को खातेदारी के स्थान पर सिवायचक दर्ज कर दिया। जिसका कोई ठोस [illegible] आधार प्रतिवादी तहसीलदार सावर पेश नहीं कर पाये है। अतः यह [illegible] प्रतिवादी के [illegible] जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:50 IST
Reason: SelfAttested

अनुतोष

तनकी न. 1 व 2 वादी के पक्ष में तथा तनकी न. 3 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई है। अतः वादी का वाद जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम मेहरूखुर्द के खाता सं. नया–पुराना 1–1 खसरा न. 362 रकबा 0.01 गै. मु. चाह जो सिवायचक खाते में है, यह चाह वादी के दादाजी नाथुनाथ वल्द कलानाथ द्वारा खुदवाया जाना पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

जगावंदी संवत् 2071–74 वाकै ग्राम मेहरूखुर्द के खाता सं. नया–पुराना 1–1 खसरा न. 362 रकबा 0.01 गै. मु. चाह जो सिवायचक खाते में है, यह चाह वादी के दादाजी नाथुनाथ वल्द कलानाथ द्वारा खुदवाया जाना पाया जाता है। यह चाह जमावंदी संवत् 2017–20 मे खसरा नं. 138 मिन् 00.01.00बीघा गै. मु. चाह नाथुनाथ वल्द कलानाथ कौम जोगी ने खुदवाया था। इस चाह से शंकरनाथ, कैलाश, हरिओम पिता हजारीनाथ कौम जोगी साकिन् देह खातेदार के खाता सं. नया–पुराना 202–184 वाकै ग्राम मेहरूखुर्द किता 3 रकबा 1.36 हैक्टर साकिन की सिचाई कर रहे है। यह, जमावंदी संवत् 2071–74 वाकै ग्राम मेहरूखुर्द के खाता संख्या नया–पुराना 202–184 किता 3रकबा 1.36 है0 से पाया जाता है। वादी ने भी प्रश्नगत चाह तीनों भाईयों के नाम करने की प्रार्थना की है,वादी के दादाजी द्वारा उक्त चाह खुदवाया गया था,वादी भी चाहता है कि उसके सभी वारिसान के नाम उक्त चाह दर्ज किया जावे । चूकि उक्त चाह संवत् 20127–20 की जमावंदी मे वादी के दादाजी के नाम दर्ज है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है,खसरा नं. 362 रकबा 0.01 गै. मु. चाह को सरकारी भूमि सिवायचक के स्थान पर शंकर, कैलाश, हरिओम पिता हजारी नाथ कौम जोगी साकिन् देह खातेदार के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावे। इस आशय का डिग्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डिग्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगल दर अमल दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner